(16)

संख्या–ई–8–1053/दस–10–89/2004

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–8 लखनऊः दिनांकः 30 अगस्त 2010

विषयः– शासकीय निर्माण कार्यों के सम्पादन के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासकीय निर्माण कार्य के सम्पादन के सम्बन्ध में नीति सम्बन्धी शासनादेश संख्या ई–8–303/दस–2006–89/2004, दिनांक 02 मार्च, 2006 में निर्माण एजेन्सी के चयन हेतु विशिष्ट व्यवस्था निर्धारित की गयी है जिसमें यह उल्लेख है कि रू0 2.50 करोड़ से अधिक के लागत के गैरमानकीकृत तथा रू0 10.00 करोड़ से अधिक लागत के मानकीकृत भवनों के निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (जल निगम) तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा ही किया जायेगा तथा शासनादेश संख्या– ई–8–304/दस–2006–89/2004, दिनांक 02 मार्च, 2006 में उपर्युक्त निर्माण एजेन्सियों की श्रेणी में अन्य निर्माण एजन्सियों के चयनित/वर्गीकृत किये जाने की व्यवस्था विहित है।

2. उपर्युक्त के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या ई–8–303/दस–2006–89/2004, दिनांक 02 मार्च, 2006 में उल्लिखित निर्माण एजेन्सियों के अतिरिक्त उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड (पैकफेड) लखनऊ को जिसे शासनादेश संख्या–ई–8–1009/दस–06–89/2004,दिनांक 22 नवम्बर, 2006 द्वारा रू0–2.50 करोड़ तक की लागत के गैरमानकीकृत तथा रू0–10.00 करोड़ तक की लागत के मानकीकृत भवन निर्माण के कार्यों हेतु चयनित / वर्गीकृत किया गया है, की निर्धारित लागत सीमा को समाप्त करते हुए रू0–2.50 करोड़ से अधिक के लागत के गैरमानकीकृत तथा रू0 10.00 करोड़ से अधिक लागत के मानकीकृत भवनों के निर्माण कार्य हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन राजकीय निर्माण एजेन्सी के रूप में माना जायेगाः–

(क) निर्धारित मानक क्रमशः तकनीकी स्टाफ एवं प्रयोगशाला सम्बन्धी मानकों को, निर्माण इकाई द्वारा क्रमशः 01 वर्ष व 02 वर्ष के भीतर पूर्ण कर लिया जायेगा। निर्धारित समय के भीतर मानकों को पूर्ण न करने की स्थिति में निर्माण इकाई को अधोक्रमित (डाउनग्रेड) कर दिया जायेगा।

(ख) निर्माण एजेन्सी में वित्तीय अनुशासन एवं सम्पादित कार्यों में उच्च कोटि की गुणात्मकता को सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से लोक निर्माण विभाग द्वारा उनका निरीक्षण एवं गुणात्मक तथा मात्रात्मक अनुश्रवण किया जायेगा तथा इस बारे में त्रैमासिक आधार पर व्यय वित्त समिति को अवगत कराया जायेगा।

(ग) निर्माण एजेन्सी द्वारा सम्पादित कार्यों की समय-समय पर गठित टास्क द्वारा जांच करायी जायेगी तथा इसकी आख्या त्रैमासिक आधार पर वित्त समिति के सम्मुख प्रस्तुत की जायेगी।

3. इस प्रकार शासनादेश संख्या ई-8-303/दस-2006-89/2004, दिनांक मार्च, 2006 तदनुसार इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

4. शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध पूर्व में निर्गत शासनादेशों के अनुसार रहेंगे तथा आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू माना जायेगा।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
मुख्य सचिव।

संख्या-ई-8-1053(1) /दस-2006-तद्दिनांक

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन, को इस शासनादे के प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर 'ख' एव 'ग' में उल्लिखित शर्तो के सम्बन्ध में आवश्य कार्यवाही कराये जाने हेतु प्रेषितः-

आज्ञा से,

20.08.10
(राजन शुक्ला)
सचिव।

संख्या-ई-8-1053(2) /दस-2006-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
2. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
3. मुख्य अभियन्ता एवं निदेशक, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0प्र0।
4. प्रबंध निदेशक, जल निगम उ0प्र0।
5. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0।
6. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 सेतु निगम लि0।
7. प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0।
8. प्रबंध निदेशक , उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0।
9. निदेशक, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
10. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ।
11. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0(पैकफेड) लखनऊ ।
12. वित्त विभाग के समस्त अधिकारी तथा अनुभाग।

आज्ञा से,

20.08.10
(राजन शुक्ला)
सचिव।